# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 81

**प्रार्थी :–**

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

श्री सुभाष चन्द्र तेली निवासी आसोडा, प्रोपराईटर जयदीप मिष्ठान भण्डार, गनोडा, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

**उपस्थित**

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री नागेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता

## निर्णय

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

**दिनांक :– 09–01–2025**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को गनोडा मे स्थित जयदीप मिष्ठान भण्डार की जांच उसके प्रोपराईटर श्री सुभाष चन्द्र तेली की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. स. | नाम ऑयल कम्पनी | सिलेंडर का एस. आर. नम्बर | कुल वजन किग्रा. में | खाली सिलेण्डर वजन | गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एचपी गैस | 13327 E | 16.000 | 15.600 | 0.400 |

श्री सुभाष चन्द्र तेली द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:11:28 IST
Reason: SelfAttested

हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर तन्मय गैस एजेन्सी, जगपुरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नीरज खेरवानिया को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री नागेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 09.01.2024 को अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच के दौरान जो 1 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी का नही है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर उपयोग, व्यवसाय या भण्डारण नही किया जाता है ना ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को यदि जप्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 24.09.2024 को गनोडा मे स्थित जयदीप मिष्ठान भण्डार की जांच उसके प्रोपराईटर श्री सुभाष चन्द्र तेली की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री सुभाष चन्द्र तेली द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर तन्मय गैस एजेन्सी, जगपुरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नीरज खेरवानिया को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:41:28 IST
Reason: SelfAttested

धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 09–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:01:28 IST
Reason: SelfAttested